भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1063
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय

1063. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी के लिए सुलभ शौचालय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण से संबंधित योजना किस तारीख को शुरू हुई और उसके तहत लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए कोई मानदंड तय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के लॉन्च से लेकर अब तक वर्ष और राज्य-वार इसके तहत ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) राजस्थान में उक्त योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितनी धनराशि जारी की गई और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) और (ख): सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। एसबीएम (जी) के तहत, सभी बीपीएल परिवारों और चिह्नित एपीएल परिवारों (एससी/एसटी परिवारों, दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिला प्रमुख परिवारों), जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं, के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12,000 रुपये के प्रोत्साहन का प्रावधान है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। एसबीएम (यू) को देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस दिशा में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार एसबीएम-यू 2.0 के तहत लाभार्थी परिवारों के चयन के मानदंड इस प्रकार हैं:

i. यूएलबी आवश्यक नए आईएचएचएल की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए अंतराल का विश्लेषण करेंगे;
ii. यदि किसी परिवार को पहले की किसी योजना के तहत आईएचएचएल के निर्माण के लिए धन प्राप्त हुआ है, तो वह परिवार फिर से शौचालयों के लिए धन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा;
iii. कोई यूएलबी जिसे कम से कम ओडीएफ + घोषित किया गया है, वह भी एसबीएम-यू 2.0 के तहत धन का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते सर्वेक्षण में अतिरिक्त आईएचएचएल इकाइयों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया हो।

(ग): एसबीएम (जी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। एसबीएम (यू) के तहत शहरी क्षेत्रों में निर्मित आईएचएचएल की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(घ): एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्यों को समेकित तरीके से निधियां जारी की जाती हैं। निधियों का आगे निचले स्तर की एजेंसियों को आबंटन/वितरण राज्य द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान राजस्थान को कुल 793.97 करोड़ रुपये का केंद्र हिस्सा जारी किया गया था। एसबीएम (यू) के अंतर्गत भी निधियां राज्यों को जारी की जाती हैं न कि शहरी स्थानीय निकायों/जिलों/व्यक्तियों को। पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान, एसबीएम (यू) के तहत राजस्थान सरकार को कुल 23.49 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर, 06.02.2024 तक, सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 6,19,357 आईएचएचएल का निर्माण किया गया है और इसका जिला-वार विवरण अनुबंध-3 में दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

एसबीएम (जी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15(2-10-14 से 31.3.2015)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	941	17594	0	1926	1704	340	219	15
2	आन्ध्र प्रदेश	160512	337901	727784	2151448	518695	253369	84233	4121	2819	14533
3	अरुणाचल प्रदेश	5665	16036	41077	50472	16795	2490	11194	3520	3194	1743
4	असम	109958	479836	1001641	773988	888403	303349	422561	82150	115305	29186
5	बिहार	111334	325096	736935	2342610	6395224	1323550	385430	16397	841255	635085
6	छत्तीसगढ़	20344	299556	1335039	1336734	215819	112590	34918	59800	54174	50192
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	0	20358	0	0	714	1447	43	0
8	गोवा	0	28508	0	0	0	0	0	0	0	1783
9	गुजरात	216692	904190	1543818	474928	101469	540745	327158	109090	30504	56819
10	हरियाणा	47733	130396	97551	353877	31900	12334	4604	11128	11072	15380
11	हिमाचल प्रदेश	25982	61813	83185	10	15	146	93	21282	15247	9317
12	जम्मू एवं कश्मीर	8492	51521	65235	401050	522192	38788	82033	14767	48667	30465
13	झारखंड	63871	288415	793033	1151951	1084001	192915	513091	25507	25322	23969
14	कर्नाटक	697454	545228	700529	1633464	752211	195969	209228	88245	15712	46148
15	केरल	19212	12351	194536	0	2	636	9298	5104	4794	1891
16	लक्षद्वीप	944	1903	3885	9538	0	1798	0	971	1082	1877
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	235014	989775	1822188	2390360	991468	332465	173785	235361	194294	197532
19	महाराष्ट्र	332224	881290	1828001	2317157	370704	729164	252029	123971	125768	94306
20	मणिपुर	21566	48062	41624	57177	79530	11989	4070	3980	6362	1924
21	मेघालय	18362	50525	47463	91960	1	9688	31201	29540	19657	3428
22	मिजोरम	461	3677	4785	23876	2664	673	2370	6347	0	2095
23	नागालैंड	0	15807	8003	51410	51060	1151	3285	8950	3472	1832
24	ओडिशा	93064	1162145	1211180	723037	2237283	1314759	249168	132827	127463	66119
25	पुदुचेरी	0	0	2257	7227	18060	265	667	609	158	204
26	पंजाब	7688	60474	103815	70211	47191	101124	64826	13559	16506	13002
27	राजस्थान	492685	1904377	2394502	1956767	143520	688464	306406	144951	168000	90315
28	सिक्किम	937	3674	0	0	2129	622	1729	3488	3809	2119
29	तमिलनाडु	195223	775949	968639	2610397	755888	153638	88122	100676	46934	48144
30	तेलंगाना	70218	230453	517415	1485528	462311	239319	112864	9085	154	0
31	त्रिपुरा	23112	55369	46502	32680	137261	79509	53492	12099	13075	12344
32	उत्तर प्रदेश	420114	618244	1579133	4241557	9629665	3769390	946897	752524	366601	1484071
33	उत्तराखंड	28333	60115	322571	44521	20511	19831	3927	11993	9027	8634
34	पश्चिम बंगाल	587440	1532393	2307901	1046940	678590	670232	507860	213330	456443	189191
	भारत	**4014634**	**11875079**	**20531168**	**27868827**	**26154562**	**11102888**	**4888957**	**2247159**	**2727132**	**3133663**

स्रोत: एसबीएम (जी) के ऑनलाइन आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े

अनुबंध-2

एसबीएम-यू के लॉन्च के बाद से एसबीएम-यू के तहत दिसंबर, 2023 तक निर्मित आईएचएचएल का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2,43,764
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	336
3	अरुणाचल प्रदेश	9,743
4	असम	78,214
5	बिहार	3,93,613
6	चंडीगढ़	6,117
7	छत्तीसगढ	3,26,429
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	2,378
9	दिल्ली	725
10	गोवा	3,800
11	गुजरात	5,60,046
12	हरियाणा	66,638
13	हिमाचल प्रदेश	6,743
14	जम्मू एवं कश्मीर	51,246
15	झारखंड	2,18,686
16	कर्नाटक	3,93,278
17	केरल	37,207
18	लद्दाख	410
19	मध्य प्रदेश	5,79,642
20	महाराष्ट्र	7,14,978
21	मणिपुर	40,175
22	मेघालय	1,604
23	मिजोरम	12,607
24	नागालैंड	20,448
25	ओडिशा	1,54,196
26	पुदुचेरी	5,162
27	पंजाब	1,03,683
28	राजस्थान	3,68,515
29	सिक्किम	1,527
30	तमिलनाडु	5,23,721
31	तेलंगाना	1,57,165
32	त्रिपुरा	21,839
33	उत्तर प्रदेश	8,97,697
34	उत्तराखंड	25,701
35	पश्चिम बंगाल	2,82,542

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना

पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में निर्मित आईएचएचएल की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1	अजमेर	13944	4403	3898	22245
2	अलवर	9885	2114	4213	16212
3	अनूपगढ़	2276	1384	3350	7010
4	बालोतरा	1598	3014	4161	8773
5	बांसवाड़ा	10246	3262	7713	21221
6	बारां	4087	2177	2639	8903
7	बाड़मेर	2241	5432	4809	12482
8	ब्यावर	1186	199	338	1723
9	भरतपुर	821	2742	2820	6383
10	भीलवाड़ा	3152	1869	2946	7967
11	बीकानेर	3644	5593	8397	17634
12	बूंदी	6882	3651	3641	14174
13	चित्तौड़गढ़	8516	5398	3269	17183
14	चुरू	3581	4105	3797	11483
15	दौसा	3244	691	5282	9217
16	डीग	2752	4153	2495	9400
17	धौलपुर	8881	4972	3857	17710
18	डीडवाना कुचामन	3271	3471	2714	9456
19	दूदू	433	809	2346	3588
20	डूंगरपुर	11797	5094	6586	23477
21	गंगानगर	1714	1098	2762	5574
22	गंगापुरसिटी	6191	3439	2451	12081
23	हनुमानगढ़	18427	4227	3853	26507
24	जयपुर	449	661	296	1406
25	जयपुर ग्रामीण	663	3225	3211	7099
26	जैसलमेर	1389	2779	5230	9398
27	जालोर	3884	3092	2365	9341
28	झालावाड़	4732	1385	1836	7953
29	झुंझुनूं	4482	2718	1995	9195
30	जोधपुर	1726	310	967	3003
31	जोधपुर ग्रामीण	10008	3718	5903	19629
32	करौली	2399	731	1887	5017
33	केकड़ी	339	675	344	1358
34	खैरथल-तिजारा	5232	1320	1983	8535
35	कोटा	6047	1663	2123	9833

36	कोटपूतली-बहरोड़	2836	3241	3833	9910
37	नागौर	786	4957	3095	8838
38	नीम का थाना	14212	4928	2889	22029
39	पाली	1492	4943	5243	11678
40	फलौदी	8144	2895	4609	15648
41	प्रतापगढ़	29847	2074	3587	35508
42	राजसमंद	8203	942	2571	11716
43	सलूंबर	9325	2389	3271	14985
44	सांचौर	3091	4691	5453	13235
45	सवाई माधोपुर	1948	878	1040	3866
46	शाहपुरा	2309	1398	1205	4912
47	सीकर	6848	3465	2984	13297
48	सिरोही	1932	1435	3730	7097
49	टोंक	4149	4579	2694	11422
50	उदयपुर	41165	6562	5319	53046
कुल		**3,06,406**	**1,44,951**	**1,68,000**	**6,19,357**

स्रोत: एसबीएम (जी) के ऑनलाइन आईएमआईएस पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े